

विविध बैंक प्रकरण संख्या 89/2022 (GCMS : 2022/134) आवास फाईनेन्सर्स लि. (Formely known as AU Housing Finance Ltd.) पंजीकृत कार्यालय 201-202, Second Floor, Southend Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur शाखा कार्यालय नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई कम्पनी के ऊपर, शिव चौक, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/एरिया कलैक्शन मैनेजर प्रेम कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण **बनाम 1. गुरनाम सिंह** पुत्र तोता सिंह निवासी वार्ड नं 10, गणेशगढ बाराणी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2. **रानी कौर** पत्नी गुरनाम सिंह निवासी वार्ड नं. 10, गणेशगढ बाराणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर 3. **जगसीर सिंह** पुत्र गुरनाम सिंह निवासी वार्ड नं 10, गणेशगढ बाराणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर 4. **सरदूल सिंह** पुत्र गुरनाम सिंह निवासी वार्ड नं. 10, गणेशगढ बाराणी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर 5. **कर्म सिंह** पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी वार्ड नं 10 गणेशगढ बाराणी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

03.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मनीष भारद्वाज उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 27.04.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण गुरनाम सिंह, रानी कौर, जगसीर सिंह, सरदुल सिंह एवं कर्म सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 4.25/- लाख रुपये (अखरे रुपये चार लाख पच्चीस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 25.06.2018 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गुरनाम सिंह की सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा नं. 71 (क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट) स्थित गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहे। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार मित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण उनका ऋण खाता

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिनांक 06.11.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 05.04.2022 को 4,48,833/- रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है, जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 31.12.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 18.01.2022 को भिजवाये गये है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी गुरनाम सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अपनी सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा नं. 71 (क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट) स्थित गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण गुरनाम सिंह, रानी कौर, जगसीर सिंह, सरदुल सिंह एवं कर्म सिंह को 4.25/-लाख रुपये (अखरे रुपये चार लाख पच्चीस हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति 25.06.2018 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गुरनाम सिंह की सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा नं. 71 (क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट)स्थित गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 06.11.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 31.12.2021 को जारी

किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 18.01.2022 को भिजवाये गये है, जिसकी तामिल के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के आनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामिल ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी गुरनाम सिंह द्वारा अपनी सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा नं. 71 (क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट)स्थित गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 31.12.2021 की तामिल का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 31.12.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 18.01.2022 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार

नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी गुरनाम सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और गुरनाम सिंह की सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा नं. 71 (क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट) स्थित गांव गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि प्रियार सिंहीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर
श्री गंगानगर